



विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार, 13 दिसम्बर, 2022/अग्रहायण 22, 1944 (शक)

संख्या-92

विषय: दिल्ली नगर निगम के लिए सदन की समिति का गठन।

माननीय सदस्यों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष ने दिल्ली नगर निगम के लिए समिति का गठन किया है, जिसके कार्य एवं संरचना इस प्रकार होंगे :-

समिति का गठन :

दिल्ली नगर निगम के कामकाज में सुधार के लिए अध्ययन हेतु और उपायों की सिफारिश करने के लिए दिल्ली नगर निगम के लिए एक समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष द्वारा नामित नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे,

परंतु, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा और यदि समिति का कोई सदस्य मंत्री के रूप में नियुक्त होता है तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

समिति के कार्य :

समिति के कार्य होंगे :-

1. यह रिपोर्ट करना कि संगठन, दक्षता या प्रशासनिक सुधारों में कौन-से मितव्ययी सुधार किये जा सकते हैं,
2. यह रिपोर्ट करना कि दिल्ली के नगर निगम द्वारा दिल्ली के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कुशल वितरण को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने की आवश्यकता है,
3. समिति द्वारा दिल्ली नगर निगम के चुने गये लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों और बही-खातों पर विचार करना,
4. स्वायत्तता के संदर्भ में यह जाँच करना कि क्या दिल्ली नगर निगम के कामकाज का कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रबंधन किया जा रहा है,
5. यह जाँच करना कि क्या दिल्ली नगर निगम को स्वीकृत धनराशि का सर्वोत्तम उपयोग किया जा रहा है,
6. विधान सभा अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किये जाने पर दिल्ली नगर निगम के कामकाज के किसी भी अन्य पहलू की जाँच करना।

संरचना :

दिल्ली नगर निगम के लिए सदन की समिति		
1.	श्री सौरभ भारद्वाज	सभापति
2.	श्री अजेश यादव	सदस्य
3.	श्री अखिलेश पति त्रिपाठी	सदस्य
4.	श्रीमती आतिशी	सदस्य
5.	श्री दिनेश मोहनिया	सदस्य
6.	श्री कुलदीप कुमार	सदस्य
7.	श्री संजीव झा	सदस्य
8.	श्री शिव चरण गोयल	सदस्य
9.	श्री सोम दत्त	सदस्य

राज कुमार
सचिव



**LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
OLD SECRETARIAT, DELHI 110 054**

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative and other Matters)

Tuesday, 13 December, 2022/Agrahayan 22, 1944 (Shaka)

No. 92

Sub: Constitution of House Committee on the Municipal Corporation of Delhi.

Hon'ble Members are hereby informed that Hon'ble Speaker is pleased to constitute the Committee on the Municipal Corporation of Delhi with the following functions and composition :-

Constitution of the Committee

There shall be a Committee on the Municipal Corporation of Delhi consisting of not more than nine Members nominated by the Speaker to study and recommend measures to improve the functioning of the Municipal Corporation of Delhi.

Provided that no Minister shall be appointed a Member of the Committee, and if a Member of the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a Member of the Committee from the date of such appointment.

Functions of the Committee :

The functions of the Committee shall be

1. To report what economies, improvements in organization, efficiency or administrative reforms may be effected;
2. To report what steps need to be taken to ensure efficient delivery of services provided by the Municipal Corporation of Delhi to the citizens of Delhi;
3. To consider the audit reports and accounts of the Municipal Corporation of Delhi as may be selected by the Committee;
4. To examine in the context of autonomy, whether affairs of the Municipal Corporation of Delhi are being managed in accordance with the provisions of law;
5. To examine whether the funds sanctioned to the Municipal Corporation of Delhi are utilized optimally; and
6. To examine any other aspect of the working of the Municipal Corporation of Delhi, as may be referred to it by the Speaker.

COMPOSITION

1.	SHRI SAURABH BHARADWAJ	CHAIRPERSON
2.	SHRI AJESH YADAV	Member
3.	SHRI AKHILESH PATI TRIPATHI	Member
4.	SMT. ATISHI	Member
5.	SHRI DINESH MOHANIYA	Member
6.	SHRI KULDEEP KUMAR	Member
7.	SHRI SANJEEV JHA	Member
8.	SHRI SHIV CHARAN GOEL	Member
9.	SHRI SOM DUTT	Member

Raj Kumar
Secretary